UPAL010119732022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़।

अग्रिम (एन्टीसिपेटरी) जमानत प्रार्थनापत्र संख्या 6064 सन् 2022

रूवी शर्मा पत्नी रनवीर शर्मा निवासी डोरीनगर थाना गांधीपार्क, जिला अलीगढ़।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

<u>आदेश दिनांक 05–12–2022</u>

गिरफ्तारी की आशंका के आधार पर यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्ता/आवेदिका रूवी शर्मा उपरोक्त की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 673/2022 अन्तर्गत धारा 306 भारतीय दण्ड संहिता संबंधित थाना बन्नादेवी, जिला अलीगढ में अग्रिम जमानत स्वीकार किए जाने हेतु इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया गया है कि संबंधित थाने की पुलिस आवेदिका को गिरफ्तार करने के लिए प्रयासरत है और संबंधित थाने की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर उसके सम्मान की अपूर्णनीय क्षति होगी।

अभियुक्ता/आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता व राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी को सुना एवॅ उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया गया।

संक्षेप में, अभियोजन/प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार वादी का भाई बावू पुत्र अनवार अहमद जी0टी0रोड़ पर मलखाान सिंह के गेट पर ठेला लगाकर सेब बेचने का काम करता था दिनांक 09–08–2022 को समय दोपहर 3.00 बजे एक महिला जिसका नाम रूवी शर्मा पत्नी रनवीर शर्मा ने उसके भाई बावू से दो किलो सेब लिये और बिना पैसे दिये वापस चलने लगी तो उसके भाई ने रोककर उससे अपने पैसे मांगे तो उस महिला ने वादी के भाई को छेड़छाड़ के मुकद्में फंसाने की धमकी दी तो वादी के भाई ने अपने मोबाइल से 112 नंबर पर फोन करना शुरू किया तो उसके भाई का मोबाइल छीनकर जमीन पर दे मारा तथा महिला ने उसके भाई का ढेला पलट दिया जिससे मौके पर काफी भीड़ इकट्ठा हो गयी तथा मौके पर ही लोगों की मदद से फैसला हुआ दो हजार रूपये महिला सेब के देगी तथा मोबाइल सही करायेगी महिला ने न ता सेब का रूपया दिया न मोबाइल सही कराया जिससे उसका भाई बावू टेंशन में आ गया जिसने मोबाइल सही न होने तथा रूबी शर्मा द्वारा रूपया न देने के कारण परेशान होकर टेंशन में दिनांक 03–09–2022 को जे.एन.मेडीकल कालेज में जहर के कारण मोत हो गयी तथा वादी व उसके परिवारीजन से बाबू की लाश को दफन कर दिया।

अभियुक्ता/आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि वह निर्दोष है उसे साजिशन झूठा फंसाया गया है। तथाकथित घटना का कोई जनसाक्षी नहीं है आवेदिका द्वारा कोई भी अपराध नही किया गया है। आवेदिका का कोई आपराधिक इतिहास भी नहीं है।

राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए कथन किया गया कि यह आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित किये जाने का गम्भीर अपराध है।

उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से विदित होता है कि आवेदिका/अभियुक्ता प्राथमिकी में नामजद है तथा उस पर मृतक को आत्महत्या के लिये दुष्प्रेरित किये जाने का अभियोग है। यद्यपि आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता की ओर से इंगित किया गया है कि प्राथमिकी विलम्बित है तथा आवेदिका का मृतक से कभी कोई विवाद नहीं हुआ है और न ही तथाकथित दर्शित विवाद का कोई जनसाक्षी ही है। इस प्रकरण में मृतक की माता व पिता ने विवेचक को दिये गये अपने बयान में कथन किया है कि उनका पुत्र बाबू, मलखान सिंह हास्पीटल के गेट पर ठेला लगाकर सेब बेचने का कार्य करता था दिनांक 09–08–2022 को रूवी शर्मा द्वारा उनके पुत्र से दो किलो सेब लेने के पैसे नहीं दिये गये जिस पर उनके पुत्र के द्वारा सेब के पैसे मांगने पर रूवी शर्मा ने उसे छेडखानी के मुकद्में में फंसाने की धमकी दी और उसका मोबाइल तोड़कर सेब का ठेला भी पलट दिया, वहॉ पर मौजूद लोगों ने समझौता कराकर उनके पुत्र का मोबाइल ठीक कराने व नुकसान के रूप में दो हजार रूवी शर्मा द्वारा देने का फैसला करा दिया परन्तु रूवी शर्मा द्वारा न तो मोबाइल ठीक कराया गया और न ही नुकसान की भरपाई की गयी और रूपया मांगने पर बराबर टालमटोल करती रही। दिनांक 01–09–2022 को जब उनके पुत्र द्वारा रूबी शर्मा से अपना रूपया मांगा गया तो उसे झूठे मुकद्में में फंसाने की धमकी दी गयी जिससे उनका पुत्र तनावग्रस्त हो गया और उसने जहरीला पदार्थ खा लिया जिससे उसकी मृत्यु हो गयी। इसी क्रम में वादी तारिक ने विवेचक को दिये गये अपने बयान में अभियोजन कथानक को दोहराते हुए उक्त साक्षीगण के बयानों का ही समर्थन किया है। मृतक की शव विच्छेदन आख्या के अनुसार मृत्यु का कारण विनिश्चय न हो पाने के कारण उसका बिसरा संरक्षित किया गया। आक्षेपित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

अतः उपरोक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों व आक्षेपित अपराध की गम्भीरता को देखते हुए इस स्तर पर प्रकरण के गुण एवं दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना आवेदिका/अभियुक्ता को अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

तद्नुसार आवेदिका/अभियुक्ता रूबी शर्मा का अग्रिम (एन्टीसिपेटरी) जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

सत्र न्यायाधीश,
अलीगढ़ 05–12–2022